



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी 2015—माघ 21, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्र. एफ-बी-1-06-2015-2-पांच (6).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 2015) की धारा 47-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (56) बी-1-181-2000-वा.कर-पांच, दिनांक 2 फरवरी, 2001 को अतिथित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (भा.प्र.से. संवर्ग) को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये प्राधिकृत करती है।

2. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार कार्य करने हेतु अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (भा.प्र.से. संवर्ग) प्राधिकृत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्र. बी-1-06-2015-2-पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-06-2015-2-पांच (6), दिनांक 10 फरवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 10th February 2015

No. F-B-1-06-2015-2-V(6).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 47-B of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) and in supersession of this Department's Notification No. (56) B-1-181-2000-CT-V, dated 2nd February, 2001, the State Government, hereby, authorise the Excise Commissioner, Madhya Pradesh and the Additional Excise Commissioner, Madhya Pradesh (I.A.S. Cadre), for the purpose of the said sub-section.

2. Additional Excise Commissioner, Madhya Pradesh (I.A.S. Cadre) shall be authorised to work as per the work distribution order issued by the Excise Commissioner, Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOWDHARY, Dy. Secy.